राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

अपील संख्या :– 3020/2025

डॉ. सुमन मीना **–अपीलार्थी**

बनाम

1. राजस्थान राज्य जरिये प्रमुख शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, राजस्थान सरकार, शासन सचिवालय, जयपुर।
2. संयुक्त सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य (ग्रुप–2) विभाग एवं पंचायती राज (चिकित्सा) विभाग, राजस्थान, जयपुर।
3. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, झुंझुनू।
4. ब्लॉक मुख्य चिकित्सा अधिकारी, उदयपुरवाटी, जिला झुंझुनू।

–प्रत्यर्थीगण

प्रस्तुतिकरण की दिनांक : 06.06.2025
आदेश की दिनांक : 01.07.2025

उपस्थित –
अपीलार्थी की ओर से : श्री विजय पूनिया, अभिभाषक

समक्ष :– विकास सीतारामजी भाले, अध्यक्ष
लेखराज तोसावड़ा, सदस्य

आदेश

मामले की आवश्यक प्रकृति को देखते हुए राजस्थान सिविल सेवा (सेवा मामलों के लिए अपीलीय अधिकरण) अधिनियम–1976 की धारा–4ए के उपबन्ध में शिथिलता प्रदान करने की प्रार्थना स्वीकार कर अपील पर सुनवाई की गई।

अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता का कथन है कि अपीलार्थी वर्तमान में चिकित्सा अधिकारी (दंत) के पद पर सीएचसी उदयपुरवाटी, जिला झुंझुनू में कार्यरत है। उनका कथन है कि अपीलार्थी की प्रथम नियुक्ति चिकित्सा अधिकारी के पद पर दिनांक 15.04.2013 को हुई थी। अपीलार्थी के पति भी उदयपुरवाटी, झुंझुनू में ही चिकित्सा अधिकारी के पद पर कार्यरत हैं। अपीलार्थी ने आदेश दिनांक 15.01.2025 को अधिकरण के समक्ष अपील संख्या 1910/2025 प्रस्तुत की, जिसके क्रम में अधिकरण द्वारा दिनांक 05.03.2025 को आदेश जारी करते हुये अपीलार्थी को अभ्यावेदन प्रस्तुत करने तथा प्रत्यर्थी विभाग को उसका निस्तारण करने हेतु निर्देशित किया गया। उक्त निर्देशों की पालना में अपीलार्थी ने प्रत्यर्थी विभाग के समक्ष अभ्यावेदन प्रस्तुत किया और प्रत्यर्थी विभाग द्वारा दिनांक 26.05.2025 के द्वारा अपीलार्थी के अभ्यावेदन का निस्तारण करते हुये आदेश जारी किया गया, जिसमें अपीलार्थी को जिला चिकित्सालय, चौहटन, बाडमेर में पदस्थापित किया गया। उनका तर्क है कि अपीलार्थी के स्थान पर किसी भी कार्मिक को पदस्थापित नहीं

किया गया है और अभी तक पद रिक्त है। परंतु फिर भी अपीलार्थी को पूर्व पदस्थापित किया गया है। अपीलार्थी के माता–पिता वृद्ध हैं, जिनकी देखभाल हेतु अन्य कोई सदस्य नहीं है। इस प्रकार अपीलार्थी का स्थानान्तरण किया जाना स्थानान्तरण नीति एवं नियमों के विपरीत है।

अतः उक्त आधारों पर अपीलार्थी की अपील स्वीकार कर आलोच्य आदेश दिनांक 26.05.2025 एवं 15.01.2025 को अपास्त फरमाया जावे तथा अपीलार्थी को यथा स्थान कार्य करने के निर्देश दिये जावें।

हमनें अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता की बहस सुनी एवं पत्रावली पर उपलब्ध समस्त दस्तावेजों का अनुशीलन कर मनन किया।

प्रकरण के तथ्यों, अभिलेख एवं अभिवचनों से यह प्रकट होता है कि अपीलार्थी प्रत्यर्थी विभाग के अधीन चिकित्सा अधिकारी (दंत) के पद पर सीएचसी उदयपुरवाटी, जिला झुंझुनू में कार्यरत है। अनुलग्नक–5 के अवलोकन से स्पष्ट है कि अपीलार्थी ने आदेश दिनांक 15.01.2025 को अधिकरण के समक्ष चुनौती देते हुये अपील संख्या 1910/2025 प्रस्तुत की और अधिकरण द्वारा दिनांक 05.03.2025 को आदेश जारी करते हुये अपीलार्थी को अभ्यावेदन प्रस्तुत करने एवं प्रत्यर्थी विभाग को उसका निस्तारण करने का निर्देश दिया गया, जिसकी पालना में अपीलार्थी ने दिनांक 18.03.2025 को अभ्यावेदन प्रस्तुत किया और अधिकरण द्वारा दिनांक 26.05.2025 के द्वारा अभ्यावेदन का निस्तारण करते हुये आंशिक रूप से स्वीकार करते हुये अपीलार्थी को सीएचसी, उदयपुरवाटी, झुंझुनू से जिला चिकित्सालय, चौहटन, बाडमेर पदस्थापित किया गया है, जो सक्षम अधिकारी द्वारा जारी किया गया है, जिसमें किसी प्रकार के नियमों का उल्लंघन होना प्रकट नहीं होता है। जहां तक अपीलार्थी की पारिवारिक समस्याएं हैं। अपीलार्थी उक्त समस्याओं के संबंध में प्रत्यर्थी विभाग के समक्ष अभ्यावेदन प्रस्तुत करने के लिये स्वतंत्र है। अतः उक्त तर्कों के आधार पर अपीलार्थी की अपील खारिज फरमाये जाने योग्य है।

उपर्युक्त विवेचन के आधार पर अपीलार्थी की अपील बलहीन एवं सारहीन होने के कारण मय स्थगन प्रार्थना पत्र के ग्राह्यता के प्रक्रम पर खारिज की जाती है।

(लेखराज तोसावड़ा)
सदस्य

(विकास सीतारामजी भाले)
अध्यक्ष